(76)

संख्या– – /XXXVI(1)/2012–237जी0/2001

प्रेषक,

डी0पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महाधिवक्ता,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांकः 14 फरवरी, 2012

विषय– महाधिवक्ता कार्यालय हेतु सृजित पदों की निरन्तरता बढाया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–22/XXXVI(1)–एक/2011–237जी0/2001 दिनांक 09–02–2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, महाधिवक्ता कार्यालय, उत्तराखण्ड के लिए सृजित 10 अस्थायी पदों (वरिष्ठ वाद अधीक्षक 01 पद, अनुभाग अधिकारी 01 पद, सहायक अधीक्षक 01 पद, प्रवर वर्ग सहायक 04 पद तथा अवर वर्ग सहायक 01 पद और अनुवादक द्विभाषिक के 02 पद) की निरन्तरता वर्तमान शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाय दिनांक 01–03–2012 से 28–02–2013 तक बढाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। उक्त पदों का सृजन मूलरूप में शासनादेश सं0 10–एक(6)/छत्तीस(1) न्याय विभाग 2004 दिनांक 06–08–2004, शासनादेश सं0 100/सी0एम0/XXXVI/07 दिनांक 08–04–2008, शासनादेश सं0 163/XXXVI(1)/2010 दिनांक 04–10–2010 तथा शासनादेश सं0108/XXXVI(1)/2011–237जी0/2001 दिनांक 13–07–2011द्वारा किया गया था।

2– उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2012–2013 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–114–विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)–03–महाधिवक्ता–00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0–ए–1270/76–दस दिनांक 20–07–1968 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–2–877/दस–92–24(8)/92 दिनांक 07–11–1992 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधनित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे है।

भवदीय,

(डी0पी0 गैरोला)
प्रमुख सचिव

संख्या 330/XXXVI(1)/2012–237जी0/2001 तददिनांकित

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्रमश.....2